12/3/25 वकील उभयपक्ष उप०। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र हेतु दि० 16-4-25 को पेश हो। [signature]

16/4/25 वकील उभयपक्ष उप०/ बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र हेतु दिनांक 18-6-25 को पेश हो। [signature]

18/6/25 बार संघ द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/7/25 को पेश हो। [signature]

28.7.25 वकील उभयपक्ष उप०। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 08.8.25 को पेश हो। Gautam

08-8-25 वकील उभयपक्ष उप०। बहस 212 RTA सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 26-8-25 को पेश हो। Gautam

26-8-25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 RTA स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद [illegible] [illegible] दाखिल अभिलेखागार रहे। Gautam

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 44/2023

पूर्णराम पुत्र श्री हरीसिंह जाति नायक निवासी 28 एलएनपी फस्ट तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राज.) ।

– – प्रार्थी

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र लिछमन जाति नायक निवासी 28 एलएनपी फस्ट तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राज.) ।
2. तुलसी उर्फ मन्जू } पिसरान पूर्णराम कौम नायक निवासीयान 28 एलएनपी फस्ट तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. सन्तोष
4. बिरमा
5. बैक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीगंगानगर
6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री रणजीत सारड़ीवाल – – प्रार्थी
2. श्री अवविन्द जाखड – –अप्रार्थी संख्या 1

–:: आदेश ::–

दिनांक :–26.08.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अनवान सदर का दावा अदालतबाला में पेश हो चुका है वजुहात वाद को देखते हुए डिकी होनें की पूरी–पूरी सम्भावना है तथ्यों की पुनरावृति न हो इसलिये प्रार्थनापत्र को दावे का अभिन्न अंग माना जाकर दावे में दर्ज तथ्यों को इसके साथ पढा जावें। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 हरीसिंह के नाम से चक 28 एलएनपी फस्ट के खाता संख्या 84/71 पं.नं. 0 मुरबा नं. 3 किला नम्बर 1(.126), 9(127), 1 ता 12(.759), 13(.127)कुल [illegible] है बारानी भूमि दर्ज जमाबंदी खातेदारी है दर्ज जमाबंदी सम्वत 2070 से 73 खातेदारी [illegible] लिछमन पुत्र नानूराम वगेरहा के नाम से चक 28 एलएनपी फस्ट के मुरबा [illegible] 3.163 है नहरी तथा मुरबा नं. 3 में 3.162 है बारानी कुल 6.325 है [illegible] बारानी दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी दर्ज है तथा प्रार्थी के दादा लिछमन पुत्र नानूराम देहान्त के

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (रा
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पश्चात जरिये विरासतन व दस्तबरदारी इन्तकाल सं. 250 दिनांक 20.05.2006 को प्रार्थी के पिता एवं ताया साधुराम के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ जिसमें से प्रार्थी के पिता के हिस्सा में 1/2 हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ जोकि पैत्रिक व जददी जायदाद होने के कारण प्रार्थी का जन्म से 1/5 हिस्सा कानूनी बनता है प्रार्थी अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर अलग से खाता करवाकर अपने नाम से अलग. लगान कायम करवाकर खाला रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी सं. 1 से कहा कि उसके नाम से चक 28 एलएनपी फस्ट तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 84/71 मुरबा नं. 3 कुल 1.139 है. बारानी विरासतन प्राप्त पैत्रिक रकबा में से प्रार्थी के हिस्से की 2–10 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम करवा देवे तथा बिना खाता विभाजन करवाये विवादित रकबा को बिना मुफाद खानदान के मुन्तकिल करने से वाज व ममनू रहे मगर अप्रार्थी सं. 1 टालमटोल करते रहे है अब दिनांक 15.02.2023 को नाम करवाने से साफ इनकारी कर दी यही वाद कारण है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जददी जायदाद एवं पैत्रिक भूमि में से अपने 1/5 हिस्सा से अधिक भूमि पूर्व में बेचान कर दी है तथा अब शेष रकबा को बिना खाता विभाजन करवाए बेचान करने की फिराक में है यदि अच्छी भूमि बेचान हो गई और उसका कब्जा किसी अजनबी को दे दिया तो प्रार्थी को नापूरा होने वाला नुकसान होगा तथा आयन्दा मुकदमेंबाजी बढेगी तथा प्रार्थी अपने हिस्से से वंचित हो जावेगा इसलिये दौराने वाद इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व पारित की जानी आवश्यक है कि जब तक विवादित भूमि का प्रारम्भिक व फाईनल डिकी से बंटवारा नही हो जाता तब तक अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि को रहन बैय न करे व अगर किसी से कोई एग्रीमेंट कर भी लिया है तो खरीददार को कब्जा देने से निषेध रहे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन का सन्तुलन व अपरिमेय क्षति का बिन्दू प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/वादीया अदालतबाला के क्षेत्राधिकारी व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे कि चक2 8 एलएनपी फस्ट के खाता संख्या 84/71 पं.नं. 0 मुरबा नं. 3 की कुल 1.139 है. बारानी भूमि का प्रार्थी के हिस्से तक किलावाईज विभाजन नही हो जाता तब तक अप्रार्थी उक्त भूमि को रहन, बैय अन्य तरीके से हस्तांतरण न करें तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद श्रीमान न्यायालय में पेश किया जा चुका है स्वीकार है लेकिन डिकी होने की कोई सम्भावना नही है इसलिए प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। प्रार्थनापत्र की मद सं. 2 में अंकित कृषि भूमि चक [illegible] /71 पं.नं. 0 मुरबा नं. 3 का रकबा किला नम्बर 1(.1 [illegible] 9([illegible] 10 ता 12(.759), 13(.127)कुल 1.139 है. बारानी [illegible] दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी [illegible] की मद सं. 3 में अंकित मेरे पिता लिक्षमन पुत्र श्री नानूराम के नाम [illegible] चक 28 एलएनपी फस्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

के मुरबा नं. 2 में 3. 163 है. नहरी तथा मुरबा नं. 3 में 3.162 है. बारानी कुल 6.325 है. राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने तथा पिता के देहान्त पश्चात विरासतन एवं अपनी बहनों से दस्तबरदारी के आधार पर प्राप्त अप्रार्थी सं. 1 तथा मेरे भाई साधुराम के नाम से बहिस्सा बराबर रकबा हुआ जो पैतृक व जददी जायदाद होकर प्रार्थी का 1/5 हिस्सा कानूनी स्वीकार है प्रार्थी ने मुझे अनावश्यक ही तंग परेशान करने के उद्देश्य से दावा प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। प्रार्थी के हिस्से की 2-10 बीघा भूमि के सम्बन्ध में मुझ अप्रार्थी ने कभी एतराज नहीं किया। प्रार्थी अपने हिस्सानुसार न्यायालय से दावा डिक्री करवाता है तो उसमें अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी के 1/5 हिस्सा का कब्जा पहले से ही उसके पास है ऐसी सूरत में कब्जा अनुसार खाता विभाजन किया जाता है तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा। यह सही है कि मुझ अप्रार्थी सं. 1 ने पूर्व में अपनी हिस्से से अधिक भूमि का बेचान अनपढ होने एवं कानूनी जानकारी के अभाव में कर दिया था। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय हलफनामा प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 बिना बंटवारा के मुन्तकिल कर अनुचित लाभ कमाने की फिराक में है। अतः प्रकरण में अन्तरिम स्थगन को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। **वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि** अप्रार्थी सं. 1 तथा मेरे भाई साधुराम के नाम से बहिस्सा बराबर रकबा हुआ जो पैतृक व जददी जायदाद होकर प्रार्थी का 1/5 हिस्सा कानूनी स्वीकार है प्रार्थी ने मुझे अनावश्यक ही तंग परेशान करने के उद्देश्य से दावा प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। यह सही है कि मुझ अप्रार्थी सं. 1 ने पूर्व में अपनी हिस्से से अधिक भूमि का बेचान अनपढ होने एवं कानूनी जानकारी के अभाव में कर दिया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तत जमाबंदी के अवलोकन से प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 पिता-पुत्र हैं। प्रार्थी द्वारा अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवाद पारिवारिक सदस्यों के मध्य है। इस स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए एवं सम्पत्ति की संरक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 21.02.2023 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 50/2023 [illegible] पूर्णराम बनाम हरीसिंह रहे।

आदेश आज दिनांक 26.08.2025 को लिखाया जाकर उभयपक्ष को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:04 IST
Reason: SelfAttested

(नयन गौतम)आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner